भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4112

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

पेंशन योजना लिए नोडल मंत्रालय

4112 चौधरी सुखराम सिंह यादव :

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :

श्री राम नाथ ठाकुर :

नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री बताने कृपा करेंगे कि :

(क) विधि कार्य विभाग के अनुसार, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) उन कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे से बाहर रखने के लिए सामान्य आदेश जारी करने के नोडल मंत्रालय है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01/01/2004 से पहले जारी किए गए थे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उन अधिकारियों, जिनकी भर्ती प्रक्रिया देरी हुई थी, को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर करने लिए एकबारगी विकल्प प्रदान करने के लिए दिनांक 17/02/2020 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध नोडल मंत्रालय कौन सा है और इसका औचित्य क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 बनाया । भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों में 1961 के उक्त नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है ।

उपरोक्त नियमों के संदर्भ में, 'केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972' विषय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी और पीडब्ल्यू) द्वारा प्रशासित होता है । इस संबंध में, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित मामलों का समन्वयन और नीतियों का नियमन, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से संबंधित विषय-वस्तु है ।

इसके अतिरिक्त, पेंशन सुधारों से संबंधित विषय-वस्तु वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को आबंटित कर दी गई है । वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के संबंध में नीति विषयक मामलों और पेंशन सुधारों का समन्वय करने और आरंभ करने का कार्य करता है ।

****